[श्री रणधीर सिंह]

कोई खतरा है तो उसके लिये जो कुछ किया जाय हम उस के साथ है ।

MR. CHAIRMAN : keep up the spirit.

श्री रणधीर सिंह : लेकिन जहां तक और बातों का सम्बन्ध है, वह उन को नहीं कहनी चाहिये । मैं उन के हाथ जोड़ता हूं । गवर्नमेंट को उन की पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिये लेकिन इस मामले में पोलिटिकल केपिटल नहीं बनना चाहिये ।

श्री क. ना. तिवारी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अगर किसी को किसी के ऊपर कोई चार्ज लाना है तो उस को स्पीकर को लिख कर भज देना चाहिये ।

दूसरे यह भी है कि हर वक्त, कोई मेम्बर कोई भी सब्जेक्ट उठा नहीं सकता विदाउट परमिशन आफ दि चेयर । कम से कम उस के बारे में लिख कर देना चाहिये । मेरा ख्याल है कि रेकार्ड देख लिया जाये और अगर कोई इस तरह की बात है कि जिस का प्रोटेक्शन फुल्ली हाउस में नहीं है उस के बारे में कुछ कहा गया है और गवर्नमेंट भी उस को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है तो उस को रेकार्ड से निकाल दिया जाये ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The statement made by Mr. Samar Guha, in spite of his ill health, is something revealing. If I heard him correctly, he said that a senior Congress member has threatened him on the phone. (*Interruptions*). Any member threatening another member is bad. I know Mr. Samar Guha, he is an ardent follower of Netaji and an ex-terrorist. Why should he be afraid of such threats ? I know he will protect himself. Why should he seek the protection of this House ? (*Interruptions*).

SHRI SAMAR GUHA : I know how to protect my self.

SHRI SAMAR GUHA : This has gone to the core, to the sense of existence, honour....(*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN : I would request him to resume his seat. Shri Tiwary has raised a point of order. He is very well aware, as also the House, that some hon. Members do rise certain important matters without prior notice in writing, especially after the question hour and immediately after the lunch reacess. The matter raised affects the very safety of Shri Samar Guha and he is very much agitated about it. He is also not keeping good health. Therefore, he was permitted to make a few observations though it was not the proper time or occasion.

SHRI K. N. TIWARY : He has mentioned some names. At least they should not be on record.

MR. CHAIRMAN : Nothing requires to be expunged from the record.

16.51 hrs.

TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) BILL—*Contd.*

श्री फ. गो. सेन (पूर्णिया) : गवर्नमेंट ने जो यह बिल लाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं एक जमाना वह था जब हम लोग देखते थे कि हमारे बिहार से और उत्तर प्रदेश वैगरह से मजदूरों को बहका बहका कर और भुलावा दे कर चाय बागानों में ले जाया जाता था और वहां ले जाकर उनको रोक लिया जाता था । इस वजह से बीच में उनको प्रोटेक्श देने के बारे में बिल आया था । तब उसकी जरूरत भी थी । लेकिन अब वह जरूरत नहीं रही है । इस वास्ते इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और आप जो उसको रिपील कर रहे हैं, वह ठीक ही कर रहे हैं ।

जब शैड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज आर्डर बिल आया था उस समय मैम्बरों ने यह कहा था कि वहां जितने इमिग्रेंट्स जाते हैं, चाहे चाय बागानों का सवाल हो या कोई और हो, उन

में आदिवासी और हरिजन लोग भी जाते हैं और वहां जा कर बस जाते हैं । अब उन लोगों का वहां कोई रिकार्ड नहीं रहता है । उन लोगों को हरिजन होने के नाते जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे सुविधायें असम सरकार की तरफ से नहीं दी जाती हैं । उनके बाल बच्चों को जो सुविधायें मिलनी चाहियें नहीं मिलती हैं, रहन सहन की उनको सुविधा नहीं मिलती है । अब इस रिपीलिंग बिल के बाद सारी पावर्ज असम सरकार को दी जा रही हैं । मैं चाहता हूं कि असम गवर्नमेंट पर इस बात को जाहिर कर दिया जाए कि हाउस की यह फीलिंग है, हाउस ने यह राय व्यक्त की है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी हरिजन लोग हैं, जो वहां जाकर बस गए हैं, उनको वे सभी सुविधायें मिलती रहनी चाहिये जो आदिवासियों को या हरिजनों को मिलती हैं ।

एक जमाना था कि वहां लोग धान काटने के लिए भी जाते थे, चाय बागानों का सवाल तो अलग रहा । धान काटने के लिए वहां मजदूरों की कमी रहती थी और बिहार वगैरह से मजदूर वहां जा कर धान काटते थे । अब उसकी जरुरत नहीं है । चाहे चाय बागानों का सवाल हो या कोई और हो, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है । जहां तक अस्पतालों का सवाल है, उनकी आजकल वहां व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है । वहां की स्थिति खराब है । मुझे मालूम पड़ा है कि एक डाक्टर को वहां लोगों ने घेर लिया और वह बेचारा इस्तीफा देकर वहां से आया । उसके द्वारा इस्तीफा देने का कारण यह था कि उन लोगों ने कहा कि एक जो इनवैलिड आदमी है, उनको वह फिट लिख दें । इस तरह के जब हालात पैदा किये जाते हैं तो इससे लोगों में बहुत घबराहट पैदा होती है । आजकल चाय की बड़ी डिमांड है । सारी दुनिया में हमारी शौहरत है । बढ़िया बढ़िया चाय वहां पैदा होती है और बाहर जाती है । वह फारेन एक्सचेंज अर्नर है । उसके ऊपर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिये । यह इंडस्ट्री फ्लरिश करे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिये । इस इंडस्ट्री को धक्का नहीं लगना चाहिये । साथ ही वहां के लोगों की, वहां के मजदूरों की जो जायज मांगें हैं, वे भी पूरी होनी चाहियें । उन लोगों के लिए उचित सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहियें । वे चाहे आदिवासी हों या दूसरे हों, जो भी मजदूर वहां हैं, लेबर डिपार्टमेंट से उनको सारी सुविधायें मिलनी चाहिये, मेडिकल असिस्टेंट की सुविधा मिलनी चाहिये, चीप रेट से जो सामान मिलता है, वह मिलना चाहिये । उनको पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलनी चाहिये । सब और भी जो सुविधायें हैं वे उन लोगों को देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

MR. CHAIRMAN : Shri Dhireswar Kalita..Absent.

Shri Shiva Chandra Jha..... Absent. The hon. Minister.

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि जो आदिवासी या हरिजन श्रमिक वहां पर गये हैं, अब तक उन को जो सुविधायें दी गई थीं, वे पर्याप्त या संतोषजनक नहीं थीं और अब जब कि हम इस कानून को हटा रहे हैं और बाकी शक्तियां आसाम सरकार को दी जा रही हैं उस को यह सुझाव दिया जाये कि वह इन सुविधाओं के बारे में रखवाली करे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और इस विषय में आसाम सरकार को लिखेंगे ।

जहां तक उन के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, टी गार्डन्ज में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उन को जो सुविधायें दी जा रही हैं, वे सब जारी रहेंगी । इस कानून के पास होने से उन को कोई असुविधा नहीं होगी। जितने विभिन्न श्रमिक कानून हैं, वे तमाम उन पर लागू रहेंगे इस से उन के लिए कोई कठीनाई नहीं होगी ।

मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक के लिए अपनी सहमति दे।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the repeal of the Tea Districts Emigrant Labour Act, 1932, and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 (Short title.)

Amendment made :

Page 1, line 4,—

for "1967" *substitute* "1970" (2)

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Eighteenth" *substitute*—

"Twenty-first" (1)

(Shri Bhagwat Jha Azad)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN ; The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

---

17. hrs.

DISCUSSION RE: ECONOMICALLY BACKWARD REGIONS IN THE COUNTRY ESPECIALLY THE EASTERN DISTRICTS OF U. P.

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में आज बहस का जो मौका मिला है, उसके लिये मैं आप को बधाई देता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों की बड़ी पुरानी कहानी है। आज तक इन क्षेत्रों की तरक्की के लिये कोई काम ऐसा नहीं किया गया, जिससे....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, यह मामला गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है या वित्त मंत्रालय से सम्बन्धि तया योजना से सम्बन्धित है, क्योंकि यह पिछड़े- पन का प्रश्न है, आर्थिक सवाल है या कहीं पर डण्डा चलाने का सवाल है, क्या गृह मंत्रालय वहां किसी आई० जी० को या किसी दूसरे अफसर को भेजेंगे ....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजदेव सिंह : मैं कह रहा था कि इन क्षेत्रों की तरक्की के लिये आज तक कोई